Schedule XLII – Form No. (J) 12

FORM OF HEADING OF DEPOSITION

NDPS Case No. 27 of 2023

Deposition of witness No. 05 for the prosecution PW aged about 35 years taken on solemn affirmation on the **03/04/2025**

My name - **Ajay Kumar Raut**

I am the S/o~~D/o/W/o~~- Chandradev Rout

My age is 35 years. I am by religion Hindu My nationality is Indian.

My home is at mauza Vijaynagar, Police Station- Banka, District- Banka

I reside at present in mauza Cheriyabariyarpur, Police station Cheriyabariyarpur, District Begusarai

where I am . .सिपाही

On Oath :-

मुख्यपरीक्षण

1. घटना 26.05.2023 समय शाम साढ़े सात बजे की है। उस समय मैं बलिया थाना में टाईगर मोबाइल में पदस्थापित था। उस समय हम लोग डयुटी में घूम रहे थे। तीन चार आदमी एक ऑटो petrol पम्प बलिया लखमिनिया पर खड़े थे। हमने उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम धीरज कुमार एनसीबी पटना बताए एवं बताए कि गुप्त सूचना मिला है कि स्कारपिओ से कुछ सामान आ रहा है उसको पकड़ना है। हम लोग वहां खड़े रहे। खगड़िया तरफ से एक स्कारपिओं आया। स्कारपिओ को हम लोग मिल कर रोके। एनसीबी टिम ने गाड़ी का जांच किया एवं नाम पता पुछा। एक ने अपना नाम धमेन्द यादव एवं एक ने राणा संजीव यादव एवं एक ने सुमंत कुमार बताया। स्कारपिओ को जांच करने के बाद काला पोलोथिन में कुछ सामान बरामद हुआ। एनसीबी की टिम ने बरामद सामाग्री को जप्त कर लिया। उसी समय डीडीकीट से जांच किया तो पता चला कि जप्त सामाग्री हेरोईन है। तीनो व्यक्ति को एवं गाड़ी को हिरासत में लिया एवं बलिया थाना में लाया एवं वहां पर जप्ती सूची वैगरह बना। जप्ती कुल सात पृष्ठ में बना एव सातों पृष्ठ पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हू जिसे साक्षी की पहचान पर कमशः Ext.P3/8/PW5, Ext.P3/9/PW5, Ext.P3/10/PW5, Ext.P3/11/PW5, Ext.P3/12/PW5, Ext.P3/13/PW5, Ext.P3/14/PW5 अंकित किया जाता है। एनडीपीएस की धारा 67 के अन्तर्गत मेरा बयान दर्ज किया गया जिस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूं जिसे Ext.P20/PW5 अंकित किया जाता है। तीनों अभियुक्त को देख कर पहचान लेगें।

*****प्रतिपरीक्षण अभियुक्त राणा संजीव यादव एवं सुमंत कुमार की ओर से श्री सुभाष कु0 सिन्हा द्वारा*****

2. स्कारपिओ का नम्बर मालूम है, वह उजला रंग का था। जहां स्कारपिओ रूकी वह जगह ऑटो पेट्रोल पम्प बलिया के पास गाडी को रोका। वह स्थान बलिया से किस तरफ है, पता नहीं। बलिया थाना देखा है। हम बलिया थाना में 2023 से प्रतिनियुक्त थे, महिना का पता नहीं। अगस्त महिना में योगदान किया था। उस समय थाना प्रभारी सुरेन्द्र कुमार सिंह थे।

3. स्कारपिओ के पास सुरेन्द्र कुमार सिंह एसएचओ नही थे। उस समय वहां पर बलिया थाना का कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं था। उस समय वहां पर कुल कितना आदमी था, नहीं बता सकते लेकिन पब्लिक बहुत था। मेरे साथ मेरा दोस्त कौशल कुमार था। और कोई मेरे जान पहचान का आदमी नहीं था और मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूं।

4. वहां पर मैनें जांच रिपोर्ट देखा था जो मुझे एनसीबी की टिम जांच रिपोर्ट दिखाया था, उनका नाम धीरज कुमार था। वहां पर कोई कागज नहीं बना था सिर्फ जांच हुआ था। वहीं पर जांच हुआ था। एनसीबी की टिम जांच किया था उसका नाम धीरज कुमार है। डीडीकीट के द्वारा जांच किया था। डीडीकीट एक मशीन होता है। जांच करने के पुर्व उन सामानों पर किसी का हस्ताक्षर नहीं लिया था। जांच करने का कोई कागज पुर्व से नहीं बना था। जिन सामानों का

जांच किया उन सामानों की संख्या नहीं बता सकता। वह सामान काला पोलोथिन में था। सील पैक नहीं था। बांधा हुआ था। किस चीज से बांधा हुआ था, याद नहीं है।

5. जांच करने के बाद उक्त सामान को वहां पर पैक नही किया। सामान थाना परिसर में गया। इसके अलावा और कुछ नहीं जानता हूं।

6. ऐसी बात नही है कि बिलकुल सिखाया हुआ बयान दिया है।

*****प्रतिपरीक्षण अभियुक्त धमेन्द्र यादव की ओर से श्री शशिभूषण झा *****

7. इस घटना की प्रथम जानकारी 26.05.2023 को साढ़े सात बजे शाम में हुई। 26.05.2023 को थाना वापस साढ़े आठ बजे रात में आया।

8. मैं मोटरसाइकिल से गश्ती कर रहा था। मेरे साथ कौशल कुमार टाईगर मोबाईल भी था। एनडीपीएस की धारा 67 के अन्तर्गत मेरा बयान साढ़े आठ बजे के बाद दिया। दोनो अभियुक्त को थाने पर भी देखा। उसके बाद आज न्यायालय में देखा।

9. ऐसी बात नही है कि मैनें गलत साक्ष्य दिया है।

उक्त ब्यान मेरे द्वारा न्यायालय में दिया गया है तथा जिसे सुनने/पढ़ने के पश्चात सही पाये जाने पर न्यायालय में अपना अंगूठा/हस्ताक्षर लगा रहा/रही हूँ।

अजय कुमार राउत

गवाह का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

Typed by Deposition writer under my direction, corrected and Signed by me.

Deposition Writer
03/04/2025

Addl. Sessions Judge – I-cum,
Spl. Judge NDPS Act., Begusarai
03/043/2025